न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 9 /2026

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
श्री हरजीराम पुत्र मंगलाराम निवासी काउ का खेड़ा तहसील व जिला बाडमेर		राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 27 (1) राजस्थान कोर्ट फीस एवं सूट वेल्यूशन एक्ट 1961

आदेश

दिनांक : 25.02.2026

1. प्रार्थी श्री हरजीराम पुत्र मंगलाराम निवासी काउ का खेड़ा तहसील व जिला बाड़मेर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके द्वारा दीवानी वाद प्रस्तुत करने हेतु कोर्ट फीस के रूप मे क्रय किये गये कुल मालियत रूपये 33375/– के स्टाम्प खरीदने के पश्चात उस पर दीवानी वाद में राजीनामा हो गया है, इसलिए उक्त स्टाम्प की राशि नियमानुसार रिफण्ड की जावें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र प्रस्तुत कर रिफण्ड का सद्भाविक कारण लोक अदालत की भावना से विवाद का निस्तारण कराया जाना अभिलिखित किया हैं एवं अन्यथा कोई गलत आशय नहीं होना प्रकट किया हैं।

2. अतः राजस्थान कोर्ट फीस एवं सूट वेल्यूशन एक्ट 1961 के नियम 27(1) के अनुसार प्रार्थी श्री हरजीराम पुत्र मंगलाराम निवासी काउ का खेड़ा तहसील व जिला बाड़मेर द्वारा दीवानी वाद हेतु क्रय किये गए कोर्ट फीस स्टाम्प रूपये 33375/– में से बाद कटौती 6.25 प्रतिशत रूपये 31290/– अक्षरे इक्तीस हजार दो सो नब्बे मात्र रिफण्ड किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं कोषाधिकारी, बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत रिफण्ड राशि को नियमानुसार प्रार्थी को भुगतान करने की कार्यवाही करे।

3. आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:15:55 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर, बाड़मेर